पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण

1- पशुओं से दोस्ताना व्यावहार करना चाहिए :-

पशु बोल नहीं सकता और न ही अपने कष्ट को व्यक्त कर सकता है इसलिए पशुओं के साथ बरती क्रूरता के निवारण के लिये कानून बनाये गये ताकि पशुओं के प्रति हमारा दोस्ताना व्यवहार हो और उसके साथ हम क्रूरता का व्यवहार न करें। पशुओं की सुरक्षा हेतु राज्य में निम्नांकित मुख्य अधिनियम बनाये गये हैं।

1- उ0 प्र0 गो-वध निवारण अधिनियम - 1955

2- उ0 प्र0 गोशाला अधिनियम - 1964

3- उ0 प्र0 पशुधन सुधार अधिनियम - 1964

4- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम - 1960

2- गो-वध करना अपराध है :-

उ0 प्र0 गो-वध निवारण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत गो वध करना अपराध है। गाय तथा गाय के वंश के वध के प्रतिशोध तथा निवारण करने हेतु उ0 प्र0 गो-वध अधिनियम-1955 का सृजन किया गया जिसके अन्तर्गत गो-वध से अभिप्राय किसी भी रीति से गाय को मारना तथा अंगहीन करना या शारीरिक आघात पहुँचाना जिससे सामान्य रूप से मृत्यु हो जाय, को अपराध घोषित किया गया। गाय के अन्तर्गत बछिया अथवा बछड़ा दोनों सम्मिलित हैं और गोमांस का तात्पर्य गाय के तथा ऐसे सांड अथवा बैल के मांस से है जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिशोध है। सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करके ही सांड या बैल का वध किया जा सकता है। किसी भी सांड या बैल का वध तभी किया जाता है जब इस अधिनियम की ध ाारा-3(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से जहाँ कि उस सांड या बैल का वध किया जाता है, उसके सम्बन्ध में यह लिखित प्रमाण-पत्र कि वह वध करने योग्य है, प्राप्त न कर लिया जाये, अन्यथा जो व्यक्ति ऐसे पशु का वध करेगा या वध करवायेगा, दण्ड का भागी होगा, भले ही ऐसा करने की कोई प्रतिकूल रूढ़ि अथवा प्रथा हो। इसके साथ-साथ जारी प्रमाण-पत्र में व्यक्त स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर वध नहीं किया जायेगा। यहाँ यह भी उल्लेख करना होगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तभी ऐसे वध करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है जब वह कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् यह प्रमाणित कर दें कि सांड या बैल 15 वर्ष से अधिक आयु का है अथवा वह सांड प्रजनन कार्य के लिए स्थायी रूप से अयोग्य या अनुपयोगी हो गया है या बैल भार-वहन तथा किसी प्रकार के कृषि कार्य के लिये स्थायी रूप से अयोग्य तथा अनुपयोगी हो गया है।

3- गोमांस बेचने पर निषेध है :-

कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में गोमांस नहीं बेचेगा और न ही परिवहन करेगा और न ही बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा। यदि वह ऐसा करता है तो उसको इस अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत 2 वर्ष का कठोर कारावास अथवा 1000 रुपया जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। गो-वध करने एवं गोमांस बेचने वाले व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम में अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय है जिसको पुलिस बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार होने पर यह अपराध अजमानतीय होगा।

4- अलाभकर गायों की देख-रेख के लिए संस्थायें स्थापित करना:-

जो गायें अलाभकर हैं उनकी देख-रेख के लिए स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा की गई है कि वह अलाभकर गायों की देखभाल के लिए आवश्यकतानुसार संस्थाएं स्थापित करेगा। अलाभकारी गाय, बैल या सांड जो स्टेशनों आदि स्थानों पर

घूमती-फिरती रहती हैं, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराने का कार्य संस्था द्वारा किया जाता है। इसके लिए इस अधिनियम में प्राविधान किया गया है।

5- गोशालाओं का प्रबन्ध एवं नियंत्रण करने सम्बन्धी विधि :-

उ0 प्र0 गोशाला अधिनियम 1964 के अन्तर्गत गोशालाओं के अपेक्षाकृत अच्छे प्रबन्ध तथा नियंत्रण का प्राविधान किया गया है। गोशाला से तात्पर्य ऐसी धर्मार्थ संस्था से है जो पशु रखने, उनका अभिजनन, पालन या भरण-पोषण करने के प्रयोजन से अथवा दुर्बल, बूढ़े, अशक्त या रोगी पशुओं को भर्ती व प्रस्तुत करने और उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई हो। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह राज्य में एक संघ स्थापित करायें, जो प्रदेश में गोशाला संघ कहलायेगा और संघ में गौशालाओं के न्यासियों के द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किय गये उतने व्यक्ति होंगे जितने नियत किये जायें। राज्य में स्थापित सभी गोशालाओं का विवरण इस प्रदेश गोशाला रजिस्टर में रखा जायेगा जिसमें निबन्धक द्वारा किसी भी समस्या तो स्वयं या गोशाला में स्वत्व रखने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा नियत रीति से जाँच की जाती है।

6- बिना अनुमोदित सांड को पालना अपराध है :-

उ0 प्र0 पशुधन सुधार अधिनियम 1964 प्रदेश में पशुधन के सुधार की व्यवस्था करने हेतु बनाया गया है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा सांड नहीं पालेगा जो अनुमोदित सांड न हों। पशुधन अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति से जो अनुमोदित सांड पालता है, निरीक्षण के लिये सांड को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और तद्पोरान्त वह व्यक्ति उसे निरीक्षण के लिये नियत दिनांक पर ऐसे समय तथा स्थान पर प्रस्तुत करेगा जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाये, बशर्ते निरीक्षण उसी गाँव अथवा नगर में होगा जिसमें सांड पालने वाला व्यक्ति सामान्यतया रहता हो। इस प्रकार यदि सांड निरीक्षण करने पर पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि सांड प्रयोजनों के काम में लाये जाने योग्य है और वह दोषपूर्ण या निम्न स्वरूप का नहीं है या असाध्य प्रकार के ऐसे सांसर्गिक या सांक्रमिक रोग से या किसी ऐसे अन्य रोग से पीड़ित नहीं है जिससे कि सांड जनन प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त हो जाय और उक्त क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित न किया गया हो तो वह उस सांड को अनुमोदित सांड से रूप में प्रमाणित करेगा और तदर्थ नियत चिन्ह से उसे दगवायेगा। यदि निरीक्षण करने पर पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि कोई सांड प्रमाणित किये जाने या दागे जाने में उपयुक्त नहीं है तो वह लिखित आज्ञा द्वारा सांड पालने वाले व्यक्ति को यह निर्देष देगा कि वह सांड को ऐसी अवधि में बधिया करा लें, बधिया करने का कार्य पशुधान अधिकारी करेगा या करवायेगा और जब तक सांड का स्वामी या उसको पालने वाला अन्य व्यक्ति आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयं की इच्छा प्रकट न करें, इस अधिनियम के अन्तर्गत पशुधन अधिकारी ऐसे रजिस्टरों को रखेगा या रखवायेगा जिनमें सांडों के निरीक्षण, बधिया किये जाने, प्रमाणीकरण और दागे जाने के विवरण तथा अन्य सूचनायें दी जायेगी। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन नियत किसी चिन्ह से अथवा नियत चिन्ह सदृश्य किसी चिन्ह से जिसका अभिप्राय धोखा देकर किसी सांड को दागता है या दगवाता है तो उसे 3 माह का कारावास या 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों का संज्ञान तभी लिया जा सकता है जबकि पशुधन अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत न किया जाये तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

7- पशुओं को पीड़ा या यातना देना अपराध है :-

पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के लिए पशु निर्दयता निवारण सम्बन्धी विधि को सृजित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पशु से तात्पर्य मनुष्य से भिन्न कोई प्राणधारी जीव से है। इसी प्रकार बन्द पशु से तात्पर्य कोई भी ऐसे पशु से है जो पालतू नहीं है, जो बन्दी अवस्था या बन्धन वह चाहे स्थायी हो अथवा अस्थायी रूप में हो अथवा जिसे बन्दी अवस्था या बन्धन से उसके पलायन को अवरूद्ध या निरूद्ध करने हेतु किसी उपकरण या युक्ति के अधीनस्थ किया गया हो अथवा जिसके पंख काटे गये हों अथवा जिसे अपंग किया गया हो या किया गया प्रतीत होता हो। इसी प्रकार पालतू पशु से तात्पर्य कोई भी पशु से है जिसे पाला गया है अथवा जिसे मनुष्य के उपयोग के हेतु किसी प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए पर्याप्तत: पालतू कर लिया गया है या किया जा रहा है, पालतू पशु कहलायेगा। किसी भी पशु का प्रभार धारण

करने या देख-रेख करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे पशु के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु तथा ऐसे पशु को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के लिए समस्त युक्तियुक्त उपाय करें।

इस अधिनियम से यह भी अपेक्षा की गई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड का गठन किया जाय ताकि यह बोर्ड पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण के लिए भारत में प्रवृत विधि का निरन्तर अध्ययन करते रहे तथा समय-समय पर ऐसी किसी विधि में किये जाने वाले संशोधन पर शासन को परामर्श देता रहे।

सामान्यत: पशुओं के प्रति आवश्यक पीड़ा या यातना का निवारण करने की दृष्टि से और विशेषत: जबकि उनका एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन किया जा रहा हो अथवा जबकि उनका प्रयोग करतब दिखाने वाले पशुओं के रूप में किया जाता है अथवा तब जब कि उन्हें बन्दी अवस्था में बन्धन में रखा जाता है, इस अधिनियम के अधीन नियमों के बनाने में केन्द्रीय सरकारी को परामर्श देना भी बोर्ड का कार्य है।

8- वध शालाओं में क्या सर्तकता बरतना आवश्यक है :-

वध-शालाओं की रूपरेखा अथवा वध-शालाओं के साधारण से विषय पर अथवा पशुओं के हनन के सम्बन्ध में सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को परामर्श देना, ताकि वध से पूर्व की अवस्थाओं में आवश्यक पीड़ा या यातना जो चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो यथा-सम्भव दूर किया जा सके और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, पशुओं की हत्या यथा-सम्भव मानुशिक ढंग से की जाये।

ऐसी समस्त कार्यवाही करना जो यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड उपयुक्त समझे कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जब तभी ऐसा करना आवश्यक हो, अवांछनीय पशुओं को या तो तत्काल या पीड़ा अथवा यातना से संज्ञाहीन किये जाने के पश्चात् विनष्ट किया जाये।

9- सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा गृह पशु एवं पशु आश्रम स्थल बनाने के लिए प्रेरित करना :-

आर्थिक सहायता के अनुदान द्वारा या अन्यथा पिंजरापोल, बचाव-गृह, पशु आश्रय, शरण्य-स्थल इत्यादि पाये जाने और स्थापित करने को प्रोत्साहित करना, जहाँ पशु या पक्षी, जबकि वे वृद्ध और निरूपयोगी हो गये हों जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो, आश्रय पा सकें। पशुओं को आवश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के प्रयोजनार्थ अथवा पशु और पक्षियों के अनुसरण के लिए स्थापित संस्थाओं एवं निकायों के साथ सहयोग करना और कार्यों का समन्वय करना। किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने वाले पशु कल्याण संस्थाओं को आर्थिक तथा अन्य सहायता देना अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में पशु कल्याण संस्थाओं के विरचन को प्रोत्साहित करना जो बोर्ड की सामान्य देख-रेख और निर्देशन के अधीन कार्य करें। चिकित्सीय देखभाल तथा सावधानी सम्बन्धी मामलों में जिनकी कि व्यवस्था पशु अस्पतालों में की जा सकें। सरकार को परामर्श देना तथा पशु अस्पतालों को आर्थिक तथा अन्य सहायता देना जब कभी बोर्ड ऐसा करना आवश्यक समझें।

10- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु शिक्षा प्रदान करना :-

पशुओं के साथ सभ्य व्यवहार के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान करना तथा व्याख्यानों, पुस्तकों, प्रचार-पत्रों, चलचित्र इत्यादि के माध्यम से पशुओं को आवश्यक पीड़ा या यातना पहँचाये जाने के विरूद्ध एवं पशु कल्याण के उत्कर्ष के लिए जनमत बनाने में प्रोत्साहन देना। पशु कल्याण अथवा पशुओं को पहुँचाने वाली आवश्यक पीड़ा या यातना के निवारण से सम्बद्ध किसी भी विषय में सरकार को परामर्श देना बोर्ड के कर्तव्य होंगे।

11- पशुओं के प्रति कौन-कौन से व्यवहार क्रूरता की श्रेणी में आते है :-

पशुओं के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार करना अपराध है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत निम्नांकित कृत्य पशुओं के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने की श्रेणी में आते हैं :-

क- यदि कोई व्यक्ति किसी पशु को पीटता है, लात मारता है, दौड़ा-दौड़ा कर थका डालता है, बहुत बोझ लाद लेता है, शारीरिक यंत्रणा देता है अथवा अन्यथा उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत करे अथवा किसी पशु के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है अथवा स्वामी होते हुये, होने देता है।

ख– किसी पशु को किसी ऐसे काम या परिश्रम में या किसी प्रयोजन के लिए लगाता है जो अपनी आयु या किसी रोग, निर्बलता, घाव, फोड़ा, फुन्सी के कारण अथवा अन्य किसी कारण से इस प्रकार के काम में लाये जाने के उपयुक्त नहीं है अथवा स्वामी हुये, ऐसे किसी सक्षम पशु को इस प्रकार काम में लाये जाने की अनुमति देता है अथवा

ग– जानबूझकर तथा अयुक्तियुक्त रूप से किसी पशु को हानिकारक औषधियाँ या पदार्थ खिलाता–पिलाता है अथवा जान–बुझकर किसी पशु द्वारा ऐसी अवधि या पदार्थ ग्रहण किये जाने का कारणभूत होता है या होने का कारणभूत होता है या होन का प्रयास करता है अथवा

घ– किसी पशु को चाहे यान में या उस पर अथवा नहीं, इस रीति या स्थिति में वहन करता है या ले जाता है जिससे कि वह अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत हो अथवा

ड– किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या भाजन में रखता है या बन्द करता है जिसकी ऊँचाई, लम्बाई और चौड़ाई माप में इतनी पर्याप्त नहीं है कि उस पशु को हिलने–डुलने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त हो सके अथवा

च– किसी पशु को अयुक्तियुक्त काल तक जंजीर या रस्सी से बाँधे रखता है अथवा अयुक्तियुक्त रूप से छोटी या अयुक्तियुक्त रूप से भारी जंजीर या रस्सी से बाँधकर रखता है अथवा

छ– स्वामी होते हुये, किसी कुत्ते को जो नित्यत: जंजीर में बँधा रहता है या संकीर्ण परिरोध में रखा जाता है, युक्तियुक्त रूप में घुमाने–फिराने या घुमवाने या फिरवाने में अवहेलना करता है अथवा

ज– किसी पकड़े हुये पशु का स्वामी होते हुये उस पशु को पर्याप्त खाना पीना या आश्रय नहीं देता है, अथवा

झ– युक्तियुक्त कारण के बिना किसी पशु का इन परिस्थितियों में परित्याग करना जिनसे यह सम्भाव्य हो जाता है कि उसे भूख और प्यास के कारण पीड़ा सहन करनी होगी अथवा

ञ– किसी पशु को जिसका कि वह स्वामी जान–बूझकर किसी सड़क पर मुक्त रूप से जाने देता है जबकि वह पशु संक्रामक रोग से ग्रस्त अथवा युक्तियुक्त कारण के बिना किसी रोगग्रस्त या अपंग पशु को जिसका कि वह स्वामी है, किसी सड़क पर मरने देता है अथवा

ट– किसी ऐसे पशु को विक्रय के लिये प्रदर्शित करता है या युक्तियुक्त करने के बिना अपने आधिपत्य में रखता है जो कि अंग–विच्छेद, भूख, प्यास, अतिसंकुल या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ाग्रस्त है अथवा

ठ– किसी पशु को विकृत करता है या किसी पशु को (आवारा कुत्तों को सम्मिलित करते हुए) हृदया में स्ट्राइकनाइन इंजेक्शनों की पद्धति के प्रयोग द्वारा अथवा किसी अन्य अनावश्यक रूप से निर्दयतापूर्वक रीति में भार डालता है, अथवा

ड– केवल मनोरंजन अपलब्ध कराने की दृष्टि से –

(1) किसी पशु का निरोधन करता है या कराता है (किसी टाइगर या अन्य अभ्यारण में चारे के रूप में किसी पशु को बाँधने को सम्मिलित करते हुये) जिससे कि वह किसी अन्य पशु को आहार बन सकें, या

(2) किसी पशु को लड़ने या अन्य पशु को सताने को उद्दीप्त करता है अथवा

ढ– अपने व्यापार के प्रयोजनार्थ पशु युद्ध या किसी पशु को संत्रस्त करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान कोप विन्यस्त करता है प्रयोग में लाता है या उसके प्रबंध में कार्य करता है अथवा ऐसे किसी प्रयोजन के लिऐ किसी स्थान को प्रयोग में

लाये जाने की अनुज्ञा देता है या प्रस्तुत करता है अथवा ऐसे किन्हीं प्रयोजनों से लिये रखे गये या प्रयोजित किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिये धन प्राप्त करता है, अथवा

ण- किसी लक्ष्यभेद प्रतियोगिता या प्रतिद्वन्द्विता को दुष्प्रेरित करता है या उसमें भाग लेता है जिसमें कि ऐसे लक्ष्य भेद के प्रयोजनार्थ पशुओं को बन्दी अवस्था से मुक्त किया जाता है।

वह प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से जो दस रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास रूपये तक को हो सकेगा तथा पहले अपराध से तीन वर्ष के भीतर कारित किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में जुर्माने से जो पच्चीस रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रूपये तक को हो सकेगा या तीन मास तक की अवधि के कारावास से या दोनों से दण्डनीय होगा।

12- पशुओं को इन्जेक्शन देकर दूध प्राप्त करना अपराध है :-

यदि कोई व्यक्ति किसी गाय या अन्य दूध देने वाले पर फूँका या दूमदेव कहलाने वाली क्रिया या दूध देने के सुधार की कोई अन्य क्रिया (किसी पदार्थ के इंजेक्शन सम्मिलित करते हुये) को प्रयोग करता है अथवा अपने कब्जे के अधीन या नियन्त्रणाधीन ऐसे किसी पशु पर ऐसी क्रिया होने देता है, तो वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकता है अथवा दो वर्ष की अवधि का कारावास से, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और उस पशु को जिस पर ऐसी क्रिया की गई है सरकार के पक्ष में समपहरण कर लिया जायेगा।

13- पशुओं का करतब दिखाने में प्रयोग करना निषेध है :-

इस अधिनियम की धारा-22 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी करतब दिखाने वाले पशु को जब तक कि वह इस अध्याय के उपबन्धों के अनुरूप रजिस्ट्रीकृत न हो, करतब दिखाने वाले पशु के रूप में किसी पशु को जिसे कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे पशु के रूप में विनिर्दिष्ट करे कि करतब दिखाने वाले पशु के रूप में, प्रदर्शित या प्रशिक्षित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया -

1- किसी करतब दिखाने वाले पशु को प्रदर्शित या प्रशिक्षित करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, विनिर्दिष्ट फार्म पर आवेदन-पत्र देने पर तथा विहित शुल्क का शोधन करने पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा जब तक कि वह ऐसा व्यक्ति न हों जो इस अध्याय के अधीन पारित न्यायालय के आदेश के कारण, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किये जाने को अधिकारी न हो।

2- इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र में पशुओं के संबंध में तथा उन खेल तमाशों की सामान्य प्रकृति के सम्बन्ध में जिनमें कि पशुओं का प्रदर्शन किया जाना है अथवा जिनके लिए कि उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है, ऐसे विवरण अन्तर्विष्ट होंगे जैसे कि विहित किए जाएँ और इस प्रकार दिये गये विहित प्राधिकारी द्वारा संधारित पंजी में प्रविष्ट किए जायेंगे।

3- विहित प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति जो जिसका कि नाम उसके द्वारा रखी गई पंजी में है विहित प्रपत्र पर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र देगा जिसमें रजिस्टार में प्रविष्ट विवरण अन्तर्विष्ट होंगे।

4- इस अध्याय में अधीन रखे जाने वाले प्रत्येक रजिस्टर समस्त युक्तियुक्त समयों पर विहित शुल्क देने पर, उसकी प्रतिलिपियाँ अभिप्राय करने, अथवा उनके संक्षिप्त-उद्धरण तैयार करने का अधिकारी होगा।

5- कोई भी व्यक्ति जिसका नाम पंजी में है, न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अधीन तद्प्रयोजनार्थ आवेदन-पत्र देने पर, अपने सम्बन्ध में पंजी में प्रविष्ट विवरणों को परिवर्तित करने का अधिकारी होगा और जहाँ कि कोई ऐसे विवरण इस प्रकार परिवर्तित किये जायें तब विद्यमान होगा और जहाँ कि कोई ऐसे विवरण इस प्रकार परिवर्तित किये जायें तब विद्यमान प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और नया प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

14- पशु हमारी राष्ट्र की संपदा है :-

पशु हमारे दोस्त ही नहीं बल्कि हमारे सेवक भी हैं क्योंकि जीवन का महत्वपूर्ण आधार पोष्टिक आहार है, जो हमारे बच्चों को पशुओं से ही प्राप्त होता है। यदि गाय-भैंसे नहीं होती तो हमें दूध भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमें पशुओं का ऋणी होना चाहिए और जो भी उनके प्रति क्रूरता का व्यवहार करें उसको दण्डित किया जाना चाहिए। असहाय पशुओं को शरण देना हमारा कर्तव्य है। पशु राष्ट्र की महत्वपूर्ण धन सम्पदा है जिनकी सुरक्षा के लिये कानून तो बनाये गये हैं परन्तु उनका लाभ पशुओं को नहीं मिल पाता। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि जब भी पशु संकट में हों तो हमें उनके संकट के निवारण के लिए अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से सरल भाषा में जहाँ पशुओं के कल्याण के लिए जानकारियाँ दी गई हैं वहीं हर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विधिक ज्ञान से नि चय ही पशुओं को लाभ पहँचायेंगे जो पशुओं के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित हो सकें।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -